having studied deeply into the issue of Ram Setu, has given its Report. Whereas it is learnt that the Government has constituted another Committee to go into the same. In this situation, I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that the Government has rejected the earlier ASI Report.

DR. MAHESH SHARMA: It is not that we have rejected the earlier Archaeological Survey of India Report, but if there is any suggestion which comes from any organisation, Member of Parliament, or, any State, there is a procedure for review of that. Definitely, we review all such things in the right perspective. If any such suggestion the hon. Member has, we will, definitely, get it reviewed by another Committee of Experts.

*347. **[The questioner was absent]**

Safety of senior citizens in Delhi

*347. SHRI RAM KUMAR KASHYAP: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of senior citizens murdered in Delhi during the last three years; and

(b) the measures taken to strengthen policing near residence of senior citizens?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HANSRAJ GANGARAM AHIR): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The details of total number of cases of murder of senior citizens reported to Delhi Police and the number of cases solved during the last three years and the current year (upto 15.3.2017) are as under:–

Year	Reported	Worked out	Percentage work out	Pending Investigation	No. of victims
2014	22	17	77.27%	5	22
2015	11	09	81.81%	2	12
2016	19	16	84.21%	3	20
2017 (upto 15.3.17)	05	05	100.00%	0	05
TOTAL	57	47	82.46%	10	59

(b) Delhi Police has taken pro-active measures for safety and security of senior citizens, which *inter alia* include creation of Senior Citizens Security Cells in Police

Head Quarter and in all Police Districts, Help Line No.1291, registration of senior citizens, regular visits by staff of Senior Citizens Security Cells and beat/division staff to the residences of senior citizens and launching of Mobile App for senior citizens. Measures taken to check the incidents of crime in the city including the residences of senior citizens include dynamic identification of crime prone areas and deployment of police resources including pickets, PCR vans and foot patrolling to enhance visibility and prevent crime, deployment of Emergency Response Vehicles (ERVs) in Police Stations in crime prone areas to respond quickly in the event of crime or law and order situation, special emphasis on servant and tenant verification and maintaining effective surveillance over criminals.

MR. CHAIRMAN: The questioner is not present. Are there any supplementaries? Shri Majeed Memon.

श्री माजीद मेमनः सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी से मेरा यह सवाल है कि वरिष्ठ नागिरकों के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों में जो हत्याएँ हुई हैं, जिनके बारे में मुख्य सवाल है, उन मुकदमात का क्या हुआ और क्या उनमें किसी की गिरफ्तारी हुई? एक तो हमें आप यह जानकारी दें और दूसरा, crime-prone areas में क्या mobile police van, specially for senior citizens, women and children का movement होता है? क्या पुलिस स्टेशंस में विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कोई special unit काम कर रही है?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, इस सम्बन्ध में जितने भी मामले दर्ज हुए थे, हमने उनके बारे में ब्यौरा दिया है। इस वर्ष 5 ऐसे murder के cases हुए थे। पांचों cases वरिष्ठ नागरिकों के murder से जुड़े हुए हैं और पूरे मामले कोर्ट में गए हैं। कुल मिला कर अभी तक 2014-15 और 2015-16 के figures हमने दिए हैं, लेकिन इनमें कितने लोगों का conviction हुआ है, अभी हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। हम इसके बारे में माननीय सदस्य को जानकारी भिजवा देंगे।

साथ ही, आपने पूछा है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए mobile van वगैरह का किस तरह से प्रयोग होता है। यहां पुलिस इसको काफी गम्भीरता से लेती है। पुलिस ने विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो प्रयास किए हैं, उनमें से एक यह है कि उनके लिए एक special Senior Citizens Security Cell बना हुआ है। उसके माध्यम से इन सभी वरिष्ठ नागरिकों का registration भी होता है। 15.3.2017 तक करीब 30,082 वरिष्ठ नागरिकों का registration हुआ है। उन्हें और भी सुरक्षा देने के लिए एक App भी बनाया गया है। साथ ही, बार-बार उनके यहां visit भी की जाती है और उन्हें I-Card भी दिया जाता है। 28,696 वरिष्ठ नागरिकों को I-Cards भी दिए गए हैं। उन्हें security मिले, वे safe रहें, इसके लिए बार-बार सम्बन्धित cell के पुलिस अधिकारी वहां दौरा भी करते हैं और उनके यहां visit भी करते हैं। मैं यहां पर माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में कुल मिला कर 5,35,000 बार visits की गई हैं। जिन वरिष्ठ नागरिकों से फोन से सम्पर्क किया गया है, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उनसे 3,53,000 बार टेलीफोन से भी बात की गई है। साथ में, आपने बच्चों के बारे में भी पूछा है, लेकिन इसमें उनको include नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस बच्चों की सुरक्षा के लिए भी काम करती है।

श्री पी. एल. पुनियाः सभापति जी, प्रश्न के जवाब में 2014 से 2017 तक जिन वृद्ध लोगों की हत्याएँ हुई हैं, उनके investigation का पूरा विवरण दिया गया है। इसमें District Police Helpline का भी उल्लेख है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय में 30 अगस्त, 2013 को वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा सम्बन्धी एक advisory जारी की गई थी, जिसमें senior citizens स्वयं अपना Self-Help Group बनाएँ, जिसमें डॉक्टर, वकील, विशेषज्ञ, सब उसमें सम्मिलित होंगे, ऐसी बात थी। तो वैध व्यक्तियों के द्वारा दिल्ली में कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं और उनको दिल्ली सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया गया है?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए सूचना निश्चित भेजी गई है, उसकी फिगर मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। इसके बारे में भी माननीय सदस्य को जानकारी भेजी जाएगी। इसमें आगे जाकर पुलिस विभाग के द्वारा कुछ NGOs की मदद ली जाती है और NGOs की मदद लेते हुए वरिष्ठ नागरिकों के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया गया है। इसमें हेल्पएज़ इंडिया, एज़वैल फाउंडेशन और अनुग्रह, इन तीन NGOs के माध्यम से यह काम किया जाता है। इन NGOs के साथ, जिनके साथ पुलिस अधिकारी भी होते हैं, इस वर्ष में इनके साथ करीब-करीब 2832 बार बैठकें हुई हैं। इनमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पुलिस द्वारा काम किया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में अधिक जानकारी लेकर उसे मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

डा. अनिल कुमार साहनीः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी लेना चाहता हूँ कि वरिष्ठ नागरिक, खासकर के बहुत से इनके मामले समाचार-पत्रों के माध्यम से और अपने सामाजिक जीवन में भी हमें देखने को मिलते हैं कि परिवार के लोग ही उनको तंग करते हैं। आपने भी बोला कि तीस हजार का पंजीयन हुआ है, तो जो तीस हजार पंजीयन हुए हैं, उनमें जो जिले आते हैं, गांव हैं, मोहल्ले हैं, टोले हैं, क्या कभी उनके स्तर पर कोई बैठक हुई है या नहीं हुई है, जिसमें बताया जाए कि उनके लिए क्या-क्या सुरक्षा हो रही है? सामूहिक रूप से उनकी कोई बैठक हुई है या नहीं हुई है? दूसरा, आप कह रहे हैं कि मोबाइल ऐप है, लेकिन बहुत से वरिष्ठ नागरिकों को मोबाइल एप चलाने का हुनर ही नहीं है। तो आपने उनको सिखाने के लिए क्या व्यवस्था की है? मेरा जानने का मायना यही है कि आप किस प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों को एक जगह बैठाने का काम कर रहे हैं, ताकि वे सामूहिक रूप से एक-दूसरे से बात करते रहें? क्या सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया है, जिसके अनुसार आप काम करते हैं? बेटा हो या बेटी हो या उसके परिवार का कोई भी सदस्य हो, अगर वह उसको तंग करता है, तो उसको कानूनी रूप से सजा मिल सके और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हो सके, आपने इसके संबंध में क्या किया है?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, जैसा सदस्य जी ने पूछा है, तो इसके लिए एक अच्छा कानून बनाया भी है, जिसमें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर का है। यह पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन एक्ट, 2007 है। वृद्ध माता-पिता, अपने पेरेंट्स की सेवा के लिए उनके बच्चों के लिए यह कानून बना हुआ है। उसके अंतर्गत 2014 में ऐसी चार एफआईआर हो चुकी थीं, 2015 में एक एफआईआर हुई है, 2016 में पांच हुई हैं और 2017 में अभी एक भी नहीं हुई है। इसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। जैसा मैंने अभी बताया कि सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है और जैसा ऐप के बारे में पूछा है, मैं आपके सामने बताऊंगा कि सरकार के द्वारा बहुत से विज्ञापन देकर इन लोगों को शिक्षित किए जाने की कोशिश की जाती है। ...**(व्यवधान)**...

डा. अनिल कुमार साहनीः वरिष्ठ नागरिकों को कैसे पता चलेगा कि ऐप कैसे चलाना है? ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः एक मिनट, एक मिनट।

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सर, मैंने अभी बताया कि यहां पर NGOs के साथ इनकी करीब 2832 बार बैठकें हुई हैं और NGOs यही काम करते हैं, जिसमें पुलिस भी सम्मिलित होती है। इसमें इन लोगों को शिक्षित भी किया जाता है और इनके साथ मिल कर सिटिजन्स ऐसोसिएशन्स भी मिलकर काम करती हैं। आप जो चाह रहे हैं, वह काम NGOs के द्वारा किया जाता है।

IS modules operating in the country

*348. SHRI RAJKUMAR DHOOT: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Islamic State (IS) has established its base in the country and its modules were recently found operating in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action Government has taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HANSRAJ GANGARAM AHIR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) There is no input to suggest that the lslamic State (IS) has established its base in the country. However, some individuals have come to notice of the Central and State Security Agencies who have been influenced mainly on the social media by the ISIS ideology.

(c) The Islamic State (IS)/Islamic State of Iraq and Levant (ISIL)/Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)/Daesh has been notified as a Terrorist Organization and included in the First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 by the Central Government.

The Intelligence and Security agencies maintain a close watch to identify potential recruits and take further action, if necessary.

In order to assess the threat posed by ISIS/ISIL and to devise a national strategy to deal with it, meetings have been held by the Ministry of Home Affairs with all the Central agencies concerned and the State Governments on 01.08.2015 and 16.01.2016 respectively.

The Government is taking all necessary measures to counter any incipient threat posed by the ISIS.